HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1003/2026

Gangaram Choudhary Son Of Shri Narayan Choudhary,

----Appellant

Versus

Rajesh Kumar Jangid Son Of Late Gopal,

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Amit Singh Shekhawat, Adv.
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

24/02/2026

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी पक्ष द्वारा पी.एफ., नोटिस, डाक शुल्क आदि तीन दिवस में पेश किये जाने पर प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण को सामान्य प्रक्रिया के साथ–साथ स्पीड पोस्ट से अपील व स्थगन आवेदन के नोटिस जारी किये जावें।

अंतरिम आदेश पर सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का निवेदन है कि विपक्षी क्रम–1 से 3 के पिता गोपाल व विपक्षी क्रम–4 के पति हनुमान द्वारा विक्रय अनुबंध दिनांक 24.05.2014 के माध्यम से अपनी कृषि भूमि प्रार्थी को विक्रय करना तय कर निष्पादित किया व आंशिक प्रतिफल राशि 56,25,000/–रूपये प्राप्त की जा चुकी थी, बाद में मुकदमेबाजी होने व उपरोक्त दोनों व्यक्तियों की मृत्यु होने जाने के कारण विक्रय पत्र निष्पादित नहीं हो पाया और अब विपक्षीगण द्वारा इनकार किया जा रहा है। यह भी निवेदन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों पर विचार किये बिना तथा कोई कारण दर्शित किये बिना अंतरिम व्यादेश जारी करने से अस्वीकार किया गया है। यदि संपत्ति अंतरित हो गई या मौके पर निर्माण हो गया, तो अनावश्यक जटिलताएं उत्पन्न होंगी।

RAJASTHAN HIGH COURT

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए विपक्षीगण को जरिये अंतरिम आदेश पाबंद किया जाता है कि वे आगामी आदेश तक वादग्रस्त भूमि को विक्रय, अंतरित व भारित नहीं करे तथा मौके पर कोई नव निर्माण भी नहीं करे। यह आदेश विपक्षीगण पर नोटिस तामील होने के बाद प्रभावी होगा।

प्रकरण तीन सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /90 (S)